पत्रांक–योजना बजट–02/2022––1031––/प०व०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

पूनम कुमारी,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना–15, दिनांक–**14**/03/2023

विषय :– वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2024–25 तक पटना/नालन्दा/भोजपुर/नवादा/गया/औरंगाबाद/बाँका/भागलपुर/जमुई/पूर्णियाँ/सहरसा/सुपौल/अररिया/तिरहुत/सीतामढ़ी/मिथिला/बेगूसराय/समस्तीपुर/सारण/वैशाली/गोपालगंज/मोतिहारी/मुंगेर/रोहतास/कैमुर/बेतिया वन प्रमंडल में मुख्यमंत्री निजी (अन्य प्रजाति) पौधशाला योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्थापित किये जाने वाले पौधशालाओं के प्रोत्साहन राशि के भुगतान एवं अन्य कार्य हेतु जल जीवन हरियाली योजनान्तर्गत कुल ₹2400.00 लाख (चौबीस करोड़ रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹700.00 लाख (सात करोड़ रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2024–25 तक पटना/नालन्दा/भोजपुर/नवादा/गया/औरंगाबाद/बाँका/भागलपुर/जमुई/पूर्णियाँ/सहरसा/ सुपौल/अररिया/तिरहुत/सीतामढ़ी/मिथिला/बेगूसराय/समस्तीपुर/सारण/वैशाली/गोपालगंज/मोतिहारी/ मुंगेर/रोहतास/कैमुर/बेतिया वन प्रमंडल में मुख्यमंत्री निजी (अन्य प्रजाति) पौधशाला योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्थापित किये जाने वाले पौधशालाओं के प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु जल जीवन हरियाली योजनान्तर्गत कुल ₹2400.00 लाख (चौबीस करोड़ रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹700.00 लाख (सात करोड़ रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस योजनान्तर्गत पौधशालाओं से कुल 100.00 लाख पौधे प्राप्त होंगे, जिसका क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक–130 दिनांक–25.01.2023 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना/प्राक्कलन जो **परिशिष्ट–1** के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

2. राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01–वानिकी, लघु शीर्ष–101–वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष–0111–जल–जीवन–हरियाली, विपत्र कोड–19–2406011010111 के विषय शीर्ष–0111.02.01–मजदूरी एवं 0111.27.01–लघु कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र कोड–19–2406011010111 के विषय शीर्ष–02.01–मजदुरी अन्तर्गत आवंटित राशि का व्यय एतदर्थ कार्य में घटकवार ही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना/नालन्दा/भोजपुर/गया/नवादा/औरंगाबाद/बाँका/भागलपुर/जमुई/पूर्णियाँ/सहरसा/ सुपौल/अररिया/तिरहुत/सीतामढ़ी/मिथिला/बेगूसराय/समस्तीपुर/सारण/वैशाली/गोपालगंज/मोतिहारी/मुंगेर/रोहतास/कैमूर/बेतिया होगें तथा राशि की निकासी उनके संबंद्ध कोषागार से की जायेगी।

4. इस योजना के क्रियान्वयन के समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी का भुगतान श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के दर पर ही हो।

5. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय, बिहार वित्त नियमावली तथा बिहार कोषागार संहिता में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

6. इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत निर्धारित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।

7. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र ससमय प्राप्त किया जायेगा।

9. इस योजना अन्तर्गत क्रियान्वित योजना का दो अलग–अलग रंगीन छाया चित्र तथा स्थल जाँच प्रमाण–पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के कार्यालय में संधारित किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

10. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित/निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।

11. दिनांक–08.02.2023 को आहूत विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–550 दिनांक–08.02.2023 द्वारा योजना की स्वीकृति की अनुशंसा एवं इस संचिका के पृ.–39/टि. पर दिनांक–11.03.2023 प्रस्ताव/कार्यवाही में माननीय मंत्री, वित्त विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इस संचिका के पृष्ठ–40/टि० पर दिनांक–14.03.2023 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(पूनम कुमारी)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट–02/2022––1031––/प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक–14/03/2023

प्रतिलिपि :– (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(पूनम कुमारी)
सरकार के उप सचिव

मुख्यमंत्री निजी अन्य प्रजाति के पौधशाला 2022–23 की योजना

क्र. सं.	कार्य	इकाई	इकाई दर	प्रमंडल का नाम									
	प्रमंडल का नाम–			पटना		नालन्दा		भोजपुर		गया		नवादा	
	चयनित पौधशाला (संख्या)–			21		19		23		29		13	
	प्रति पौधशाला पौधों की संख्या–			20000		20000		20000		20000		20000	
	कुल उपलब्ध पौधों की संख्या–			420000		380000		460000		580000		260000	
			रूपये	भौ	वि	भौ	वि	भौ	वि	भौ	वि	भौ	वि
	वर्ष 2022–23												
1	नर्सरी संचालकों को प्रथम किस्त का भुगतान	प्रति पौधा	7.00	420000	2940000	380000	2660000	460000	3220000	580000	4060000	260000	1820000
	योगः–				2940000		2660000		3220000		4060000		1820000
	वर्ष 2023–24												
2	द्वितीय किस्त का भुगतान	प्रति पौधा	8.00	420000	3360000	380000	3040000	460000	3680000	580000	4640000	260000	2080000
	योगः–				3360000		3040000		3680000		4640000		2080000
	वर्ष 2024–25												
3	तृतीय किस्त का भुगतान	प्रति पौधा	9.00	420000	3780000	380000	3420000	460000	4140000	580000	5220000	260000	2340000
	योगः–				3780000		3420000		4140000		5220000		2340000
	सकल योगः–				10080000		9120000		11040000		13920000		6240000

क्र. सं.	कार्य	इकाई	इकाई दर	प्रमंडल का नाम									
	प्रमंडल का नाम–			औरंगाबाद		बांका		भागलपुर		जमुई		पूर्णियाँ	
	चयनित पौधशाला (संख्या)–			15		10		15		14		27	
	प्रति पौधशाला पौधों की संख्या–			20000		20000		20000		20000		20000	
	कुल उपलब्ध पौधों की संख्या–			300000		200000		300000		280000		540000	
			रूपये	भौ	वि	भौ०	वि०	भौ०	वि०	भौ०	वि०	भौ०	वि०
	वर्ष 2022–23												
1	नर्सरी संचालकों को प्रथम किस्त का भुगतान	प्रति पौधा	7.00	300000	2100000	200000	1400000	300000	2100000	280000	1960000	540000	3780000
	योगः–				2100000		1400000		2100000		1960000		3780000
	वर्ष 2023–24												
2	द्वितीय किस्त का भुगतान	प्रति पौधा	8.00	300000	2400000	200000	1600000	300000	2400000	280000	2240000	540000	4320000
	योगः–				2400000		1600000		2400000		2240000		4320000
	वर्ष 2024–25												
3	तृतीय किस्त का भुगतान	प्रति पौधा	9.00	300000	2700000	200000	1800000	300000	2700000	280000	2520000	540000	4860000
	योगः–				2700000		1800000		2700000		2520000		4860000
	सकल योगः–				7200000		4800000		7200000		6720000		12960000

क्र. सं.	कार्य	इकाई	इकाई दर	प्रमंडल का नाम									
	प्रमंडल का नाम–			सहरसा		सुपौल		अररिया		तिरहुत		सीतामढ़ी	
	चयनित पौधशाला (संख्या)–			21		12		16		15		21	
	प्रति पौधशाला पौधों की संख्या–			20000		20000		20000		20000		20000	
	कुल उपलब्ध पौधों की संख्या–			420000		240000		320000		300000		420000	
			रूपये	भौ०	वि०	भौ०	वि०	भौ०	वि०	भौ०	वि०	भौ०	वि०
	वर्ष 2022–23												
1	नर्सरी संचालकों को प्रथम किस्त का भुगतान	प्रति पौधा	7.00	420000	2940000	240000	1680000	320000	2240000	300000	2100000	420000	2940000
	योगः–				2940000		1680000		2240000		2100000		2940000
	वर्ष 2023–24												
2	द्वितीय किस्त का भुगतान	प्रति पौधा	8.00	420000	3360000	240000	1920000	320000	2560000	300000	2400000	420000	3360000
	योगः–				3360000		1920000		2560000		2400000		3360000
	वर्ष 2024–25												
3	तृतीय किस्त का भुगतान	प्रति पौधा	9.00	420000	3780000	240000	2160000	320000	2880000	300000	2700000	420000	3780000
	योगः–				3780000		2160000		2880000		2700000		3780000
	सकल योगः–				10080000		5760000		7680000		7200000		10080000

क्र. सं.	कार्य	इकाई	इकाई दर	प्रमंडल का नाम									
	प्रमंडल का नाम–			मिथिला		बेगूसराय		समस्तीपुर		सारण		वैशाली	
	चयनित पौधशाला (संख्या)–			37		24		19		19		15	
	प्रति पौधशाला पौधों की संख्या–			20000		20000		20000		20000		20000	
	कुल उपलब्ध पौधों की संख्या–			740000		480000		380000		380000		300000	
			रूपये	भौ०	वि०	भौ०	वि०	भौ०	वि०	भौ०	वि०	भौ०	वि०
	वर्ष 2022–23												
1	नर्सरी संचालकों को प्रथम किस्त का भुगतान	प्रति पौधा	7.00	740000	5180000	480000	3360000	380000	2660000	380000	2660000	300000	2100000
	योगः–				5180000		3360000		2660000		2660000		2100000
	वर्ष 2023–24												
2	द्वितीय किस्त का भुगतान	प्रति पौधा	8.00	740000	5920000	480000	3840000	380000	3040000	380000	3040000	300000	2400000
	योगः–				5920000		3840000		3040000		3040000		2400000
	वर्ष 2024–25												
3	तृतीय किस्त का भुगतान	प्रति पौधा	9.00	740000	6660000	480000	4320000	380000	3420000	380000	3420000	300000	2700000
	योगः–				6660000		4320000		3420000		3420000		2700000
	सकल योगः–				17760000		11520000		9120000		9120000		7200000

क्र. सं.	कार्य	इकाई	इकाई दर	प्रमंडल का नाम													
	प्रमंडल का नाम–			गोपालगंज		मोतिहारी		मुंगेर		रोहतास		कैमूर		बेतिया		कुल	
	चयनित पौधशाला (संख्या)–			31		26		14		18		10		16		500	
	प्रति पौधशाला पौधों की संख्या–			20000		20000		20000		20000		20000		20000		20000	
	कुल उपलब्ध पौधों की संख्या–			620000		520000		280000		360000		200000		320000		10000000	
			रूपये	भौ०	वि०	भौ०	वि०	भौ०	वि०	भौ०	वि०	भौ०	वि०	भौ०	वि०	भौ	वि
	वर्ष 2022–23																
1	नर्सरी संचालकों को प्रथम किस्त का भुगतान	प्रति पौधा	7.00	620000	4340000	520000	3640000	280000	1960000	360000	2520000	200000	1400000	320000	2240000	10000000	70000000
	योगः–				4340000		3640000		1960000		2520000		1400000		2240000		70000000
	वर्ष 2023–24																
2	द्वितीय किस्त का भुगतान	प्रति पौधा	8.00	620000	4960000	520000	4160000	280000	2240000	360000	2880000	200000	1600000	320000	2560000	10000000	80000000
	योगः–				4960000		4160000		2240000		2880000		1600000		2560000		80000000
	वर्ष 2024–25																
3	तृतीय किस्त का भुगतान	प्रति पौधा	9.00	620000	5580000	520000	4680000	280000	2520000	360000	3240000	200000	1800000	320000	2880000	10000000	90000000
	योगः–				5580000		4680000		2520000		3240000		1800000		2880000		90000000
	सकल योगः–				14880000		12480000		6720000		8640000		4800000		7680000		240000000

कुल 2400.00 लाख रू. (चौबीस करोड़ रूपये) मात्र की तकनीकी अनुमोदन प्रदान की जाती है।

24-01-23

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
बिहार, पटना।

E:\SOFT TAREK\E\FINANCIAL YEAR 2022-23\SCHEMES 2022-23\MUKHYA MANTRI NIJI ANYA PRAJATI PAUDHSHALA 2022-23 (CM).xls\Sheet3